बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः– वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 दिनांक–02.12.2019 एवं वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7520 दिनांक–11.08.2011 में संशोधन किये जाने की स्वीकृति।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2019 (डिग्री) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों को वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 दिनांक–02.12.2019 द्वारा दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है एवं वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7520 दिनांक– 11.08.2011 द्वारा दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें लागू की गई है।

2. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6758 दिनांक–05.09.2003 द्वारा दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें प्रभावी की गई हैं। इसी प्रकार दिनांक–11.08.2011 को निर्गत संकल्प के द्वारा दिनांक–01.01.2006 से छठे वेतन पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तें प्रभावी है। दिनांक–01.01.2016 से प्रभावी, वेतन पुनरीक्षण एवं सेवा शर्तों को दिनांक–02.12.2019 को निर्गत संकल्प द्वारा प्रभावी किया गया है।

3. उक्त सभी वेतन पुनरीक्षण में सेवा शर्तें/वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि एवं संबंधित संकल्प की निर्गत तिथि में अंतराल है। प्रत्येक वेतन पुनरीक्षण के उपरांत एक तरफ जहाँ वेतनमान का पुनरीक्षण हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सेवा शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। जिसके कारण संकल्प के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान में वित्तीय उन्नयन पाने वाले शिक्षकों एवं वित्तीय उन्नयन से वंचित शिक्षकों के मामले में नए सेवा शर्त के आधार पर वित्तीय उन्नयन देने में कठिनाई उद्‌भूत हो रही है।

4. वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 दिनांक–02.12.2019 की कंडिका–6 में अभातशिप विनियम–2019 (डिग्री) की कंडिका–2.25 में निहित प्रावधानों को संपूर्ण रूप से लागू नहीं किये जाने के कारण उम्मीदवारों का नियमित सेवा अंतर्गत शैक्षणिक अनुभव की कमी होने से सह–प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति किये जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

5. तदालोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में उत्पन्न विसंगति को दूर करने एवं कैरियर संवर्द्धन योजना (CAS) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(i) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए दिनांक–01.01.2006 से वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7520 की निर्गत तिथि 11.08.2011 के बीच की अवधि में योग्यताएं, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां आदि वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6758 दिनांक–05.09.2003 में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें।

(क) वित्त विभागीय संकल्प संख्या–6758, दिनांक–05.01.2003 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक– 01.01.1996 से प्रवृत पुनरीक्षित वेतनमान {संवर्गीय संरचना, नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, प्रोत्साहन तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित} दिनांक–11.08.2011 के प्रभाव से निरसित हो जाएगी।

(ii)राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए दिनांक–01.01.2016 से वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 की निर्गत तिथि 02.12.2019 के बीच की अवधि में योग्यताएं, अनुभव, भर्ती, प्रोन्नतियां आदि वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7520 दिनांक–11.08.2011 में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें।

(क) वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7520 दिनांक–11.08.2011 के प्रावधान दिनांक–01.12.2019 के प्रभाव से निरसित हो जाऐंगें।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम, 2019 (डिग्री) की कंडिका–2.25 में सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवा की गणना हेतु वर्णित निम्नांकित प्रावधानों को वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 दिनांक–02.12.2019 की कंडिका–6 में उप कंडिका–6.1 के रूप में दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से पूर्व की सेवा का अनुभव सिर्फ सीधी भर्ती के लिए निम्नरूपेण जोड़ी जायेगी :–

उप कंडिका–6.1– बशर्ते कि :

(क) धारित पद की अर्हताएं सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, जैसा भी मामला हो, अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यताओं से न्यून न हों।

(ख) पद सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर और प्रोफेसर के पद की ही भांति समकक्ष ग्रेड अथवा पूर्व–संशोधित वेतन मान में है/था।

(ग) सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार ने उचित माध्यम से आवेदन किया हो।

(घ) संबंधित सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर यथास्थिति, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद में नियुक्ति के लिए अभातशिप द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समान न्यूनतम योग्यताएं धारित करता हो।

(ड़) पद को ऐसी नियुक्तियों के लिए विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/संबंधित संस्था के विनियमों में यथानिर्धारित विदित चयन प्रक्रिया के अनुरूप भरा गया हो।

(च) पूर्व नियुक्ति किसी अवधि के लिए अथवा तदर्थ अथवा एक वर्ष से कम अवधि की अवकाश रिक्ति पर अतिथि व्याख्याता के रूप में नही हो। एक वर्ष से अधिक की तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा की गणना की जा सकेगी बशर्ते कि :

(i) सेवा की अवधि एक वर्ष से अधिक थी ;

(ii) पदधारक की नियुक्ति सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई थी;

(iii) पदधारक का स्थायी पद पर चयन तदर्थ अथवा अस्थायी सेवा के अनुक्रम में किया गया था ;

(iv) सेवा में कृत्रिम व्यवधान का प्रयोग स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी के प्रति पूर्वापेक्षा रखने के लिए नहीं किया जाएगा। स्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उसके द्वारा की गई संपूर्ण सेवा का लाभ सेवा में कृत्रिम व्यवधान/व्यवधानों के होते हुए भी मूल नियुक्ति की तारीख (अस्थायी/संविदा/तदर्थ) से दिया जाएगा।

(v) पदधारक किसी नियमित रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, की प्रारंभिक अवस्था पर मासिक सकल वेतन से अन्यून कुल सकल परिलब्धियां आहरित कर रहा था ; तथा

(vi) चयन के समय, निर्धारित किए गए निबंधन और शर्तें अनुभव की अवधि, अनुभव की प्रकृति का स्पष्टतः उल्लेख करती हों तथा नियोजक द्वारा उनकी सहमति दी गई हो।

(छ) संस्था के प्रबंधन की प्रकृति के संदर्भ में वहां कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए, जहां की गई पूर्व सेवा (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी) पर इस खंड के अंतर्गत पूर्व सेवाओं की गणना के लिए विचार किया गया था।

6. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में राजपत्रित मूल कोटि पद सहायक प्राध्यापक की सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टेक./बी.एस. और एम.ई./एम.टेक./एम.एस. अथवा एकीकृत एम. टेक जिसमें से किसी भी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष है, अभातशिप विनियम–2016 की कंडिका–25 के आलोक में मूल कोटि पद सहायक प्राध्यापक को एम.ई./एम.टेक./एम.एस. अथवा एकीकृत एम.टेक डिग्री के लिए प्रवेश स्तर पर दो गैर संयोजित अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमान्य किया जाना समीचीन नही है।

तदलोक में वित्त विभागीय संकल्प–7520 दिनांक–11.08.2011 एवं वित्त विभागीय संकल्प–9631 दिनांक–02.12.2019 में पीएच०डी० उपाधि के लिए गैर–संयोजित अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने हेतु निम्नरूपेण प्रावधान किया जाता है :–

<u>छठें वेतनमान के अंतर्गत (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–7520 दिनांक–11.08.2011 की कंडिका–13)</u>

(i) जो पहले से निम्न अर्हता के साथ नियमित संकाय के रूप में कार्य कर रहे है तथा जहाँ ऐसी उच्च मूल अर्हता पद के लिए अनिवार्य है/थी उन्हें एम०टेक०/एम०फिल० अथवा पीएच०डी० डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं किया जाएगा।

(ii) सेवा में रहते हुए पीएच०डी० की उपाधि धारित करने पर तीन गैर चक्रवृति अग्रिम वेतन वृद्धि जहाँ अभातशिप विनियम, 2010 लागू होगा वहाँ केवल पीबी–3 (रू० 15,600–39,100) में ही दी जाएगी।

(iii) पी०डी०एफ०/डी०एससी अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूरा करने पर वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।

(iv) पूर्व से प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच०डी० उपाधि प्राप्त करने वाले सहायक प्राध्यापक को सेवा में योगदान की तिथि से तीन गैर संयोजित अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमान्य किया जाएगा।

7वें वेतनमान के अंतर्गत (वित्त विभागीय संकल्प संख्या–9631 दिनांक–02.12.2019 की कंडिका–5)

a. जो पहले से निम्न अर्हता के साथ नियमित संकाय के रूप में कार्य कर रहे है तथा जहाँ ऐसी उच्च मूल अर्हता पद के लिए अनिवार्य है/थी उन्हें एम०टेक०/ एम०फिल० अथवा पीएच०डी० डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं किया जाएगा।

b. दिनांक–04.01.2016 के उपरान्त पीबी–4 (रू० 37,400–67,000) सम्प्रति लेवल–13ए1 में सेवा में रहते हुए पीएच०डी० अर्हता प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमति अनुमान्य नही होगी।

c. पी०डी०एफ०/डी०एससी अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूरा करने पर वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।

d. पूर्व से प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच०डी० उपाधि प्राप्त करने वाले सहायक प्राध्यापक को सेवा में योगदान की तिथि से तीन गैर संयोजित अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमान्य किया जाएगा।

7. उपरोक्त के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9631 दिनांक–02.12.2019 एवं वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7520 दिनांक–11.08.2011 के प्रावधान उपरोक्त हद तक संशोधित समझा जाएगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29.2.24

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (II) विविध–01/2024/ 919 /पटना, दिनांक– 29/02/24

प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

29.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (II) विविध–01/2024/ 919 /पटना, दिनांक– 29/02/24

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/कुल सचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–27.02.2024 में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति के आलोक में)/सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/प्राचार्य सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/परियोजना निदेशक, (बी०सी०एस०टी०), पटना/विभागीय सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – वि0प्रा0 (II) विविध–01/2024/ 919 /पटना, दिनांक– 29/02/24

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनंत/21.02.24